ट्रांसमिशन लाइन से करंट के झटके, हाई कोर्ट ने कहा- पेश करें सीईए की रिपोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः बिलासपुर जिले के कई गांवों में ट्रांसमिशन लाइन के नीचे और आसपास करंट से हो रही परेशानियों को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा। गुरुवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का पक्ष अतिरिक्त अटार्नी जनरल रमाकांत मिश्रा ने रखा। हालांकि, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी (सीईए) की विस्तृत रिपोर्ट अब तक पेश नहीं हो पाई है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए अगली सुनवाई 4 मार्च को निर्धारित की है।

याचिका बिलासपुर जिले के रतनपुर क्षेत्र और आसपास के आठ गांवों में ट्रांसमिशन लाइनों के कारण करंट की समस्या को लेकर दायर की गई है। हाई कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट्स का स्वतः संज्ञान लिया था, जिनमें बताया गया कि ट्रांसमिशन लाइनों की ऊंचाई कम होने और टावरों के आसपास करंट के झटके महसूस होने से ग्रामीणों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कछार, लोफंदी, भरारी, अमतरा, मोहतराई, लछनपुर, नवगंवा और मदनपुर गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। खेतों में काम करने वाले ग्रामीणों को रबड़ के जूते और बूट पहनने के बावजूद करंट लगने का खतरा बना रहता है। खासतौर पर बच्चों और मवेशियों के लिए यह स्थिति बेहद खतरनाक है।

4 मार्च तक पेश करें रिपोर्ट

गुरुवार को हुई सुनवाई में अधिवक्ता अतनु घोष ने केंद्र सरकार के पहले हलफनामे में जबलपुर ट्रांसमिशन कंपनी से जुड़े तथ्यों को पेश किया और कोर्ट से समय मांगा। अतिरिक्त अटार्नी जनरल रमाकांत मिश्रा ने सीईए की रिपोर्ट अगली सुनवाई में पेश करने की बात कही। हाई कोर्ट ने रिपोर्ट की अनिवार्यता पर जोर देते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि रिपोर्ट को 4 मार्च 2025 तक पेश किया जाए।

मंत्रालय ने गठित की है समिति

पिछली सुनवाई में अधिवक्ता अतनु घोष ने कोर्ट को अवगत कराया था कि विद्युत मंत्रालय ने इस समस्या के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति ने ट्रांसमिशन लीकेज का हल निकालने के लिए संबंधित कंपनियों को बुलाया था। वहीं, अतिरिक्त अटार्नी जनरल रमाकांत मिश्रा ने कोर्ट को जानकारी दी थी कि विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है और इसे अगली सुनवाई में प्रस्तुत किया जाएगा।

SCAN AnyScanner